स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012–2013

(1) संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा :– यह एक राज्य सरकारी विभाग है। यह उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं है और जिनका महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण नहीं किया जाता है। विष्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा पांच प्रमुख विपणन समीतियों में अंकेक्षण का कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। महालेखाकार द्वारा साधारणतयः इन संस्थाओं का अंकेक्षण नही किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैः–

कम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेष विष्व विद्यालय षिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विष्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेष
3	डा0 यषवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विष्वविद्यालय नौणी, सोलन
4	हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड
5	हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड
6	विपणन समितियां
7{ए}	राजकीय षिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे
8	हिमाचल प्रदेष हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
9	हिमाचल प्रदेष आवास एवं षहरी विकास प्राधिकरण
10	नगर निगम षिमला
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रषिक्षण संस्थान
13	हिमाचल प्रदेष तकनीकी षिक्षा बोर्ड
14	हिमाचल प्रदेष वैधिक सेवाएं प्राधिकरण
15	हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास बोर्ड
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद

18 हिमाचल प्रदेष कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

19 मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष

20 मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष

21 हिमाचल प्रदेष सचिवालय कैनटीन

22 मेला एवं उत्सव

23 हिमाचल प्रदेष पुष चिकित्सा परिषद

24 आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड

25 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि

26 राज्य सैनिक बोर्ड़ विषेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि

27 सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,सेस्कृति षिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि

28 ई–गर्वनेन्स

29 इन्दिरा गांधी खेल परिसर, षिमला

30 पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली

31 हिम कॉपस ;भ्डब्व्ैद्ध, षिमला

नोटः– स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट– (अ) में दिया गया है।

(2). **अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य** :– विभाग, प्रधान सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रषासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेषक एवं परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा :– विषेष सचिव(वित्त) निदेषक एवं परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0 के पद का कार्यभार संभालते है।

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :–

अतिरिक्त निदेषक :– वह कार्यालय का मुखिया होने के साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी है।

संयूक्त निदेषक/उप निदेषक–1 :– वह तकनीकी शाखा के प्रभारी हैं। वह हिमुडा के अंकेक्षण कार्य तथा तीनो विष्वविद्यालयों व हि0प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला, षहरी निकायों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधिक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

उप निदेषक–2 :– वह प्रषासनिक/लेखा शाखा के प्रभारी है तथा वह विपणन बोर्ड षिमला, सभी विपणन समितियों,मन्दिर न्यासों, ई–गर्वनेन्स, तकनीकी षिक्षा बोर्ड धर्मषाला तथा अन्य प्रमुख विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधिक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

सहायक निदेषक :– वह सरकारी पाठषालाआ/महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों/बहुतकनीकी संस्थानों तथा अन्य लघु विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधिक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

***अनुभाग अधि*कारी (स्थापना) :–** वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के अतिरिक्त प्रषासनिक तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते है।

अनुभाग अधिकारी(तकनीकी शाखा) :– वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखती है।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हे।

लिपिक :– प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :– संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विष्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समीतियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा वहां तैनात अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का निपटारा करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते है।

वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :– स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतराकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/ अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेषक/उप निदेषक/सहायक निदेषक भी विभाग द्वारा हिमुडा और अन्य बडी संस्थाओं के विषेष अंकेक्षण दलों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण करते है।

(3) निर्णय एवं उतरदायित्व माध्यम सहित :–

विभाग में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक(कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक जो अनुभाग अधिकारी, सहायक निदेषक जो भी स्थिति हो, समक्ष सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत करते हैं और मामलों का अतिरिक्त निदेषक, निदेषक या प्रधान सचिव(वित्त) हि0प्र0 सरकार के स्तर पर अन्तिम निपटारा किया जाता है। निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण की कार्यवाही करके कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक जैसी भी स्थिति हो, में जांच एवं अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मामले की प्रकृति के अनुसार वृतों में तैनात अंकेक्षण दलों को मौके

पर ही मामलों का निपटारा करना होता है जबकि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृतों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभागीय मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हे।

(4) **कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :–** विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए तैयार मानक अंकेक्षण स्टाफ को जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखिम मानक तय किए गए हैः–

1. अंकेक्षण कार्य हेतु समय
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए अंकेक्षण कार्य की सीमा तय करना।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए माप दण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके एक्ट/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं जो सरकार द्वारा/संस्थाओं को समय समय पर जारी दिषानिदेर्षो तथा निर्धारित प्रकियाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

(5) विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिषानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख :– विभाग के नियम, दिषा निर्देषों जो दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, का पालन करता है।

(6) विभाग के नियन्त्रण में दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण :–

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेख.

(2) विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(3) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रषासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की वसूली से सम्बन्धित मांग एवं वसूली अभिलेख।

(7) किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्ष अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रषासन की रचना के विद्यमान हो।

विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए विषेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नही रखता है।

(8) बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्ष एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण :–

सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, कौंसिंल समीति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गईं है।

(9) <u>अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देषिकाः–</u> स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से निर्देषिका परिषिष्ट (ब) में संलग्न है।

<u>(10). विभाग के प्रत्येक अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेयः–</u>

हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदो के पे बैण्ड तथा ग्रेड पे से सम्बन्धित विवरण **परिषिष्ट–स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृतों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार मु0 500/– रू0 प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) <u>विभाग की विभिन्न एजेंन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन।</u>

विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता हे। विभाग के नियन्त्रक / अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यषील नही है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

<u>(12) पावती में छूट, अनुक्षपति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरणः–</u> इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) <u>अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के, निर्धारित तरीके से निष्पादनः</u>–सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) <u>सूचना जिसका विस्तृत विवरण मोजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना :–</u> वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे–2– अभिलेख को इलैक्टोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) <u>सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो.</u>

सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16)<u>. स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण</u>

<u>मुख्यालय कार्यालय :–</u>

क0 सं0	जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी, पीआईओ / एपीआईओ	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री राजेष शर्मा, निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177–2620757

2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेषक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177—2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेषक, सहायक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177—2620046

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विष्वविद्यालय पालमपुर	संयुक्त नियन्त्रक / उप नियनत्रक (ले0प0)	01894—230354
2	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मषाला.	संयुक्त नियन्त्रक / उप नियनत्रक (ले0प0)	01892—229333
3	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विष्वविद्यालय	संयुक्त नियन्त्रक / उप नियनत्रक (ले0प0)	0177—2830892
4	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विष्वविद्यालय नौणी, सोलन.	संयुक्त नियन्त्रक / उप नियनत्रक (ले0प0)	01792—252171
5	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,षिमला—2	सहायक नियन्त्रक(ले0प0)	0177—2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला—12.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	0177—2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01792—230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01892—265195
9	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01907—265592
10.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01902—222208

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0

क0 सं0	अधिकारी का नामव पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री राजेष शर्मा, निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177—2620757	9418381433
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेषक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177—2620046	9418083689

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं । ''षून्य''

विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं :—

1. ***अंकेक्षण की स्थिति :***

प्रतिवेदन अवधि के दौरान विभाग द्वारा कुल 206 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया है।

2. स्टाफ स्थिति :

दिनॉक 31.03.2013 को विभाग में सृजित कुल 130 पदों के विरूद्व 104 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 26 पद रिक्त थे ।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य ;पहदउमदजद्ध के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि में विभाग की आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :

वर्ष	विभाग की बजट/व्यय राषि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजज्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिषत
2012–13	5.83	1.47	25.21

***5.* वर्ष 2012–13 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं :–**

वर्ष 2012–13 में जारी किए गए विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के आधार पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई :

1. नगर परिषद हमीरपुर – 01.04.2009 से 31.03.2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
पैरा 4	गृहकर एवं भवनों के किराये की वसूली न करना।	118.46
पैरा 4.3	दुकानों एवं स्टालों के किराए की वसूली न करना।	31.53

2. नगर परिषद हमीरपुर – 4/2011 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6	मोबाईल संचार टावर कम्पनियों का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.85
7 (क)	गृहकर की बकाया राशि का दिनांक 31.3.12 को शेष पाया जाना	115.66
8 (क)	किराये की बकाया राशि का दिनांक 31.3.12 को शेष पाया जाना	40.30

3. नगर परिषद रोहड्रू – 01.04.2010 से 31.03.2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4 (च)	नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा बैंक में जमा राशि में अन्तर के बारे में	3.48
6	उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने पर लगभग अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	5.00

8 (क)	दुकानों/स्टालों के किरायेदारों से दिनांक 31.3.12 को वसूली हेतु शेष पाया जाना	8.87
9 (क)	गृहकर की मॉग तथा प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना तथा गृहकर की शेष राशि में से नाममात्र ही वसूली करना	72.63

4. नगर परिषद धर्मशाला, – 01.04.2010 से 31.03.2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7 (क)	ब्याज के रूप में अर्जित राशि को रोकड़ वही में न लिया जाना	14.14
11 (क)	कर की वसूली शेष	116.87
11 (ख)	गृहकर पर गलत छूट देने के कारण राशि का नुकसान	7.80
12	किरायेदारों से किराया वसूली हेतु शेष	11.75
13 (ङ)	विभागीय स्तर पर सीमेन्ट जारी न करने के कारण राशि की हानि	33.00

5. नगर परिषद ठियोग – 01.04.2007 से 31.03.2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6.6	III[rd] Finance Commission से प्राप्त अनुदान की राशि को पैंषन फण्ड में अनियमित प्रकार से हस्तांतरित करना।	15.06
7	वर्ष 2010–11 तक गृहकर की बकाया राशि की वसूली शेष।	72.69
8	दिनांक 31.03.11 तक किराये की बकाया राशि की वसूली शेष।	22.06
9	व्यवसायिक परिसर की दुकानों की लीज मनी प्राप्त न करने के कारण वितीय नुकसान	7.71

6. नगर परिषद कांगड़ा, – 01.04.2007 से 31.03.2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6.2	दिनांक 31.03.11 तक गृहकर, दुकानों के किराये के रूप में राषियां वसूली जानी शेष	41.70
6.4	गृहकर की बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज न लगाने से हानि	3.17
6.5	निर्धारित दरों पर गृहकर की मांग न करने के कारण वित्तीय हानि	3.55
6.7	ट्रेड टैक्स की वसूली न करने के कारण हानि	1.18

7. नगर परिषद नुरपुर – 01.04.2007 से 31.03.2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹)लाख
5	गृहकर एवं दुकानों के किराये की बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करना	36.11

8. नगर परिषद चम्बा – 04/07 से 03/2010

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	किराएदारों से किराए की वसूली न करना	27.10
9.4	दिनांक 31.03.10 तक गृहकर की वसूली शेष	34.92
9.8	विभिन्न अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	150.00

15.15	रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु संविदाकार को अनियमित भुगतान करना	2.14

9. नगर परिषद घुमारवीं – 04/09 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
पैरा 8(i)	गृहकर, दुकानों के किराये की राशि दिनांक 31.03.2012 तक वसूली हेतु शेष	61.86

10. नगर परिषद नगरोटा बगवां – 4/2009 से 3/2012

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5.3	गृहकर, मोबाई टावर बकाया एवं दुकानों के किराये की राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करना।	27.16
5.4	निर्धारित दरों पर गृह कर की मांग न करने के कारण वित्तीय हानि बारे।	5.45

11. नगर परिषद बिलासपुर, – 1.4.09 से 31.3.2011

पैरासंख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5.4	अनुदान की राशि का वेतन पर अनियमित भुगतान करना।	13.34
6.1	किराये व देय ब्याज की वसूली शेष।	57.16
6.2	शेष किराया व ब्याज की वसूली व दुकानों को खाली करने हेतु कोर्ट में लम्बित मामले।	14.41
6.4.2	नगर परिषद बिलासपुर द्वारा डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल धौलरा से विश्राम गृह के देय किराय की कम राशि वसूलनें से हुई राशि की हानि बारे।	3.63

12. नगर परिषद नाहन – 1.4.2007 से 31.3.2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6	गृहकर की वसूली शेष।	212.56
7	सफाई कर की वसूली शेष।	11.56
10	विभिन्न दुकानों स्टालस तथा गैराज इत्यादि के किराये की बकाया वसूली	64.93
12	विभिन्न व्यवसायियों से लाईसैन्स फीस की बकाया वसूली बारे	28.63

13. नगर परिषद नालागढ़ – 4/07 से 3/10

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	दुकानों के किराये की वसूली न करने बारे	28.75
7.1	प्लाटों के किराये की दिनांक 31.3.10 तक वसूली न करना	3.20

14. नगर परिषद परवाणु – 4/09 से 3/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	31.03.11 तक, गृहकर सफाई कर दुकानों का किराय की वसूली शेष	55.30
10	संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस की कटोती न करना	3.09

15. नगर पंचायत भुन्तर – 04/2007 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7 तथा 9	दुकानों के बकाया किराये की वसूली न करना।	37.42
13	तहबजारी की वसूली न करना।	9.82
14	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना।	4.21

16. नगर पंचायत ज्वालामुखी – 04/2009 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
8 (क)	अवधि 1.4.09 से 31.3.12 के दौरान गृहकर की वसूली नाममात्र होना व दिनांक 31.3.12 को गृहकर की वसूली हेतु शेष पाई जाना।	88.32
8 (ख)	गृहकर का निर्धारण निर्धारित दरों पर न करने के कारण आय की हानि	30.98
9	दुकानों के किराए के रूप में दिनांक 31.3.12 को वसूली हेतु शेष	54.00

17. नगर पंचायत नादौन – 4/2010 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6 (क)	गृह कर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	40.14
7	किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11.68

18. नगर पंचायत सुजानपुर – 04/1995 से 03/2004

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
8	अनुबन्ध के आधार पर किराये को 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ वसूल न करना	6.49
9	शेष गृहकर की वसूली न करने ब ारे	12.83
10.6	संविदाकारों से आयकर न काटना	4.40
12.1	कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि समायोजित को न करना।	6.50

19. नगर पंचायत चुवाड़ी – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7 (2)	गृहकर की बकाया राशि वसूल न करना	3.37
7 (5)	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	4.34

20. नगर पंचायत जुब्बल – 04/2007 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
8 (क)	गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष	5.95
8 ख)	गृह कर की कम दर से वसूली करने के कारण हुई हानि	5.26

8 (ङ)	दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष	12.44

21. नगर पंचायत सुन्नी – 04/2008 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5.2	3rd वित्त आयोग के अर्न्तगत अवधि 04/08 से 03/11 में प्राप्त अनुदान राशियों का अनियमित भुगतान	25.46
7	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना	18.23
7.2	सरकार द्वारा घोषित दरों पर गृहकर को अधिरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को वित्तीय नुकसान	8.79

22. नगर पंचायत कोटखाई – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
16	नियमों की अनदेखी करके मजदूरी का अनियमित भुगतान	3.85
21	डिपोजिट कार्य हेतु भुगतान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	50.00
25	नगर पंचायत द्वारा वाहन हाईड्रोलिक टिप्पर का पंजीकरण व बीमा न करवाना तथा इस वाहन के अनुपयुक्त रहने के कारण वाहन की खरीद पर व्यर्थ में ही भुगतान करने बारे	7.68

23. नगर पंचायत नारकण्डा – 4/07 से 3/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	गृह कर राशि की दिनांक 31.3.11 तक वसूली शेष।	3.26
8	किराय राशि की दिनांक 31.3.11 तक वसूली शेष।	14.86
12	वेतन व भत्तों की राशि की अधिक अदायगी की वसूली न बारे।	1.78

24. नगर पंचायत संतोषगढ़, – 04/10 से 03/12

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v) (vi)(vii)	गृहकर, दुकान किराया, चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली।	55.15
9 (क)(ख)	संविदाकार को अधिक भुगतान	10.67
12 (च)	संविदाकार को बिना मदों की आपूर्ति लिए सुरक्षित अग्रिम प्रदान करना	6.00
13 (ग)	संविदाकार को अनुचित भुगतान	5.57

25. नगर पंचायत मैहतपुर – 04/2007 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6.1	गृहकर, दुकान किराया, चुल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	185.46

26. नगर पंचायत दौलतपुर चौक – 4/07 से 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख

6 (2)	गृह कर, दुकान किराये व चूल्हा की राशि की शेष वसूली बारे	20.05
9.2	सुरक्षित अग्रिम की वसूली न करना	1.58

27. नगर पंचायत गगरेट – 4/07 से 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6	लम्बित वसूलियां न करने बारे।	32.43
8.6	अनुदान राशि से फर्नीचर का अनियमित क्रय	1.98

28. नगर पंचायत रिवालसर – 4/09 से 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6 (ख)	दिनांक 31.3.11 को गृह कर की वसूली शेष बारे।	32.46
6 (ग)	दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष।	1.96

29. नगर पंचायत जोगिन्द्र नगर – 4/07 से 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	दिनांक 31.3.11 तक गृह कर की वसूली शेष बारे	42.92
8	दुकानों के किराये की दिनांक 31.3.11 तक बकाया वसूली शेष	3.80

30. नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, – 4/08 से 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
8	दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राषि	1.84
11	राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से रैहन बसेरा के किराये की वसूली हेतु शेष राशि	0.52

31. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय शिमला – 04/2010 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4	दिनांक 31.03.11 तक ग्राऊंड रैन्ट की राशि आबंटियों से वसूली हेतु शेष	18.38
4.1	विभिन्न विभागों/उपक्रमों को बिना ब्याज के करोड़ों की वित्तीय सुविधा अनुचित/अनियमित प्रकार से प्रदान करने पर हिमुडा को लाखों रुपये के ब्याज की हानि	4164.00
5	यात्रा भत्ता, अवकाष रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, स्टाफ अग्रिम व विविध अग्रिमों का कई वर्षों से वूसली/समायोजन न करना	7.36

8.7	सावधि निवेश में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शाना	11.91
8.11	सावधि निवेश पर उचित निर्णय न लिए जाने के कारण ब्याज के रूप में हानि	33.02
15	स्थापना व्यय (वेतन व भत्ते) को अनुचित प्रकार से कार्यों/परियोजनाओं/स्कीमों में डैबिट करना	250.83
16	राशि को उचित विवरण के बिना Reserve and Surplus Schedule के अन्र्तगत दर्शाया जाना	366.16
17	विभिन्न आवासीय बस्तीयों से पिछले कई वर्षों से वसूली न करना न ही आबंटन रद करना	57.29
17.1	धरोहर राशि को जब्त न करना	26.36
18	एफ0बी0टी0 की अग्रिम भुगतान की गई राशि को लाभ हानि खाते में अनुचित व्यय दिखा कर समायोजित किया जाना	20.75

32. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू, –04/2010 से 03/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4(1)	जल प्रभार एवं रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	90.79
6	एस0सी0/एस0टी0 होस्टल, नालागढ़ जिला सोलन के निर्माण कार्य में 10 सी0सी0 दावे के रूप में अधिक भुगतान	1.10
12(3)	भण्डार की मदों का कई वर्षों से उपयोग न करना	37.59

33. हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल न्यू शिमला – 04/10 से 03/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5	संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिमों की शेष राशि	23.84
6	राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5108.51

34. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल हमीरपुर, – 04/2010 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना।	366.00

6	बिजली बोर्ड से डिपोजिट कार्य के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप वसूली न करना।	14.51
7	संविदाकारों को दिए गए सुरक्षित अग्रिमों की ₹48.50 लाख का समायोजन न करना।	48.50

35. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला – 4/2010 से 3/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4	विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर मण्डल द्वारा 31.3.2011 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय	304.31
5	दिनांक 31.3.11 तक मिश्रित अग्रिमों की समायोजन हेतु शेष राशि	58.78
6	रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.3.11 को वसूली योग्य राशि	116.15

36. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I शिमला – 04/2010 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4	स्टाफ अग्रिम वसूली हेतु शेष	1.76
4(1)	विविध अग्रिम वसूली हेतु शेष	34.79
5(1)	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष	16.94

37. हिमाचल हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I शिमला – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4(ख)	विविध अग्रिम वसूली हेतु शेष (जिसमें ₹33.38 लाख दीर्धकाल से लम्बित पाया जाना)	43.51
4 (ग)	मकान/प्लाट मालिकों से जल प्रभार की राशि वसूली हेत शेष	2.44
4 (घ)	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष	20.83
5 (क)	कैश सैटलमैन्ट सस्पैन्स लेखों का अनेक वर्षों से निपटारा न करना	8.24
5 (ख)	भण्डार मदों को दीर्धकाल से प्रयोग में न लाना	10.97

38. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी – 4/11 से 3/12

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
पैरा 4(क)	विविध अग्रिमों की समायोजन हेतु शेष राशि	102.22

पैरा 4 (ख)	संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण न करने के कारण बन्द (Rescind) कार्यों की दण्ड राशियां वसूली योग्य	34.00
पैरा 5	रख रखाव प्रभार की वसूली योग्य राशि शेष	26.87
पैरा 6	विभिन्न विभागों के डिपाजिट कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण वसूली योग्य राशि	939.69
पैरा 10	10 सी0सी0 दावे की गलत गणना के कारण अनियमित भुगतान	2.28

39. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल हमीरपुर – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	417.83
5	बिजली बोर्ड से डिपोजिट राशि से कम कार्य निष्पादित करने के परिणामस्वरूप वसूली न करना	14.51
6	संविदाकारों से प्रतिभूति राशि अग्रिमों की वसूली न करना।	83.64

40. प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–II – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
4	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	14.16
4.2	विभिन्न आवासीय परिसरों से रख–रखाव शुल्क की वसूली न करना।	19.81
4.2	विभिन्न आवासीय परिसरों से जल प्रभार शुल्क की वसूली न करना।	9.21
5	निक्षेप निर्माण कार्यों पर दिनांक 31.3.2012 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली न करना	107.40
6	सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना	16.94
7	PSFS छबरोटी, कसुम्पटी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान।	4.06
8	कंसट्रक्सन आफ पुलिस बिल्डिंग, सोलन हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान	1.80
9	PSFS छबरोटी, शिमला–9 ग्रुप–4 के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान।	1.61
10	कंसट्रक्सन आफ पुलिस बिल्डिंग अन्डर मार्डनाईजेषन स्कीम, सोलन के सम्बन्ध में संविदाकार को अधिक भुगतान	1.37

41. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला – 4/10 से 3/11

पैरा	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5	विभिन्न मण्डी समितियों से डिपोजिट कार्यो को करवाने हेतु प्राप्त की	197.97

	गई राशि का विपणन बोर्ड के तुलन पत्र मे मिलान करने पर अन्तर का पाया जाना	
6	आयकर वापसी (Income Tax Refundable Account) की राशि का समायोजन न करना	44.06
8	विपणन समितियों को दी गई ऋण की राशि वसूली हेतु शेष दर्शाने वारे	125.52

42. कृषि उपज मण्डी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर – 04/06 से 03/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5(i)	सावधि जमा के ब्याज की राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	101.17
12	तहसीलदार रिकवरी के माध्यम से किराये की वसूली योग्य राशि	1.80

43. कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू – 04/10 to 3/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
5	दुकानों व प्लाटों के किराये की शेष राशि अवधि 31.03.2011 तक वसूली हेतु शेष है।	10.64
6	बकाया मण्डी शुल्क की राशि विभिन्न लाईसैन्सधारियों से वसूली हेतु शेष है।	8.53
7	मण्डी शुल्क की राशि विभिन्न आलू व्यापारियों से वसूली हेतु शेष है।	5.26
8	मण्डी शुल्क की बकाया राशि की वसूली मैसर्ज़ लाहौल पोटैटो ग्रोवर सोसाईटी से अवधि 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष है।	1.17

44. कृषि उपज मण्डी समिति ढली शिमला – 04/10 to 3/11

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	दुकानों के किराए के रूप में की शेष वसूली।	26.20
17(ii)	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	99.47

45. कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (कांगणी) जिला मण्डी – 04/10 to 3/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
6	दुकानों के किराए की राषि वसूली हेतु शेष।	7.57
8	अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के विपरीत कम मण्डी शुल्क वसूलना।	10.74

46. कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा – 04/10 to 3/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(₹) लाख
7	दुकानों की लम्बित किराये की वसूली न करना।	**9.18**
8	मार्केट यार्ड कांगड़ा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली न करना।	**3.46**
22	सब्जी मण्डी, जसूर में मै0 वैष्णों फ्रूट, कम्पनी दुकान नं0 18 से कम्पाऊंड मण्डी षुल्क के रूप में न वसूलने बारे।	**1.10**

47. मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन – 01.04.2010 से 31.3.11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
7	अग्रिम के न समायोजन करने बारे	5.00

48. तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला–4/11 से 3/12

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
7	दिनांक 31.3.2012 को अग्रधन के समायोजन न करने बारे	9.44
9	बिना सरकार की अनुमति के निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को राशि प्रदान करने बारे	500.00

49. मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेश्वरी देवी जी "कांगड़ा" – 1/2011 से 12/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
7	दुकानों/भवनों के किराए के रूप में वसूल की जानी वाली राशि का शेष पाया जाना	1.58
13	गौ सदन के निर्माण पर खर्च करने पर भी इसका प्रयोग न करने बारे	27.95

50. श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध, –1/2010 से 12/2010

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
17	विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुद्रित पत्रिकाओं में दिए गए विज्ञापनों पर अनुचित व्यय के बारे में।	6.73
18 (iii)	यात्री निवास की खरीद के पष्चात 7/10 से 12/10 तक वित्तीय हानि	3.22

51. मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर जी – 1/11 से 12/11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
9	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	1.50
10(i)	ठेकेदार को का अनुचित लाभ दिया जाना	4.60
12	केन्द्रीय पूल में दी गई के अनुचित भुगतान बारे	3.50

52. श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर नाहन – 22.05.2002 से 03/2010

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख

4(ii)	50 ग्राम सोना की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना	1.50
4(iv)	3262.600 ग्राम चांदी की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना	1.83
7	विज्ञापनों आदि पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय	23.39
8	वित्तीय सहायता/दान के रूप में रेड़ क्रॉस सोसाईटी नाहन को अनियमित भुगतान किया जाना।	8.00
9	अन्य विभागों को वस्तुओं अथवा रोंकड़ के रूप में अनियमित रूप से भुगतान करना।	3.26
31	वस्तुओं की खरीद खुले बाजार से बिना निविदाएं आमन्त्रित किए करना।	7.15
39	विभिन्न अग्रिमों के रूप में वसूली योग्य शेष के बारे में	21.90
40	यात्री निवास के कमरों के किराये के रूप में कम राशि प्राप्त करने बारे	8.25
41	मन्दिर न्यास परिसर के छोटे मन्दिरों की त्रृटिपूर्ण तरीके से सरकारी बोली से भी कम नीलाम करने के फलस्वरूप हानि	2.43
42	मन्दिर न्यास परिसर में मेलों के दौरान नीलाम किए गए छोटे मन्दिरों से सम्बन्धित नीलामी की संविदाकारों से कम प्राप्त करना	4.30

53. हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला – 2010–11

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाख
49	अग्रिम राशियों का 31.03.2011 तक समायोजन न करना	1799.33
14	हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राशि का समायोजन न करना	225.84
वार्षिक लेखा टिप्पणी 3(घ) व (ङ)	शीर्ष संख्याः 318/1 व 318/2 के अर्न्तगत बोर्ड के खाते से पैन्शन योजना व उपदान रिजर्व के लिए राशि का अनियमित हस्तांतरण	1288.00
3(i)	रोकड़ बही व बैंक खाते में बोर्ड गठन से लेकर आज तक अन्तर	122.43
18	निवेशित राषियों को परिपक्वता की तिथि से पूर्व निवेष करने पर ब्याज की हानि	10.50
34	बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का	2.87

	अनियमित भुगतान	
13	परीक्षा शुल्क राशि की वसूली हेतु शेष	2.36

54. चौ0 सरवन कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर–2010–11

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाख
7	विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशियों से किए गए अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने बारे।	1166.16
10	3–टीयर (Three-tier) पे स्केल देने से पूर्व ही {फील्ड} तकनीकी सहायक ग्रेड–1 को दिए गए ए.सी.पी.एस. के लाभ को वापिस किए जाने बारे।	17.60
11	विश्वविद्यालय खाते से अधिक मात्रा में अग्रिमो की गलत निकासी तथा अत्याधिक मात्रा में आकस्मिक अग्रिमों के अनावश्यक अवरोधन के कारण हुई ब्याज की हानि।	2.77
16	11 नं0 टीचर आवास के निर्माण कार्य पर विवाचक द्वारा राशि भुगतान हेतु निर्धारित करना।	1.74
17	विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा President HOFF को RKVY Project के under “Promotion of organic Agriculture” पर अनियमित भुगतान करना।	26.60
18 (i)	सहकारी फैक्टरी कालू–दी–हटटी से हरी चाय की पत्ती की आपूर्ति हेतु कम वसूली करना।	9.18

55. डा0 वाई0एस0परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन–2010–11

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाख
4 {ए} व {बी}	अस्थाई अग्रिम राशि का समायोजन न करने बारे	380.39
46 {2}{ए}	विभिन्न सामान्य भविष्य निधि व सी.पी.एफ. खातों में पडी बेदावी राशि।	21.05
18	Furniture and customized products की खरीद पर financial propriety के principles को ignore करके किया गया अनियमित व्यय।	31.02
19	राशि का अपव्यय।	1.42

21	पंखों का खरीद पर अनियमित व्यय	3.65
28	मंहगे वर्टिकल बलिंडस (Vertical blinds) की खरीद पर अनियमित व्यय	0.95

56. हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला–5–.2008–2009

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाख
5	अस्थाई अग्रिम राशि का समायोजन न करना।	217.51
11	केस नं0 सीएमपी–397/2008 शीर्षक हि0प्र0 विश्वविद्यालय बनाम विरेन्दर पाल सिंह एवं हरिन्दर पाल सिंह के सम्बन्ध में प्राशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त न करना तथा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने बारे।	90.17
15	सुविधा भत्ता और होटल किराये का छात्र निधि से अनियमित व अधिक भुगतान किया जाना।	4.47
16	आई.सी.डी.इ.ओ.एल. के शिक्षकों को मानदेय का अनियमित भुगतान।	1.28
26	सावधिक निवेश पर प्राप्त की गई राशि पर सेयूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा आयकर की गलत कटौती करना।	4.16
27	कम अवधि के लिए किए गए सावधि जमा निवेश के कारण ब्याज के रूप में वित्तीय हानि।	4.15

परिशिष्ट–अ

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाए
1	हिमाचल प्रदेष विष्व विद्यालय षिमला	हिमाचल प्रदेष विष्व विद्यालय षिमला अधिनियम 1970 की धारा 29 {1} के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विष्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेष	हिमाचल प्रदेष कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विष्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विष्वविद्यालय के विधान ॅ;जंजनजमेद्ध के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यषवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विष्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेष कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विष्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान ॅ;जंजनजमेद्ध की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1968
5	हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेष कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 2005 की धारा 48{2} के अधीन
6	विपणन समितियां	नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा हिमाचल प्रदेष कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 1971 के धारा100{3}के अधीन बनाए गए संषोधित नियम के अधीन।
7{ए}	राजकीय षिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}	हिमाचल प्रदेष षिक्षा संहिता ,नियम 136 {बी}2 के अधीन
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे	पत्र संख्या फिन–2–सी{ए}–55–6684 दिनांक 9.9.96 के अधीन
8	हिमाचल प्रदेष हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेष धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23{2}सी {!!} अधिसूचना संख्या भाषा–ए{डी}–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी{पी–173}
9	हिमाचल प्रदेष आवास एवं षहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेष आवास एवं षहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004{ 2004के अधिनियम संख्या –9} की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4{डी}1/92–।। दिनांक 13–9–2004 के अधीन
10	नगर निगम षिमला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संषोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन{एल0ए0}खण्ड–4

		दिनांक 16.10.2008 के अधीन
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम 1994 की उप धारा 1 व सैक्षन 255 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन{एल0ए0}खण्ड–4 दिनांक 16. 10.2008 के अधीन
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रषिक्षण संस्थान	अधिसूचना सं0 एसटीवी{आईटी}एफ{5}–5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
13	हिमाचल प्रदेष तकनीकी षिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेष वैधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेष वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम 1996 विनियम 8{5} के अधीन
15	हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेष पर्यटन एवं रेगुलेषन रजिस्ट्रेषन अधिनियम 2002 के सेक्षन 14{2} के अर्न्तगत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5{3} संख्या फिष–एफ–{5}–1 /82–खण्ड–1 दिनांक 29–3–86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 हाम्योपैथी प्रैक्टीषनर नियम 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेष कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए{9} –2/84, दिनांक 10–12–1984 के अधीन
19	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निदेंष संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रषासन विभाग–ई अनुभाग हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या –जीएडी–ई{सी}8/99दिनांक 2–11–99
21	हिमाचल प्रदेष सचिवालय कैनटीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए–आई)एफ(6)–1/84, दिनांक 8–5–1998, 18–3–88, 16–10–99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा–सी{13}–2/92–लूज,दिनांक 11–5––99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी के द्वारा
23	हिमाचल प्रदेष पुषु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेष पुषु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या –ए एच वाई –ए{5}5/86–दिनांक 3–1–94 द्वारा
24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याःएच एवं एफ.डब्लयू{सी}{1}–21/76 दिनांक 22–6–1977
25	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना सेख्या 11–58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19–10––1977 के नियम 9 के अधीन
26	राज्य सैनिक बोर्ड़ विषेष निधि आर.	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/ राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निदेष

	आर. सैनिक विश्राम निधि	संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,सेस्कृति षिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्याः फिन सी 15–25 / 77 (डब्लयू एण्ड एम)दिनांक 29–12–1978
28	ई–गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ{1}2/2000–ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, षिमला	निदेषक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4–31/83–वाईएसएस–4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रषासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्याःजीएडी–3–सी{4}13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस ;भ्प्डब्व्च्द्ध, षिमला	हिमकाप की गवर्निग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेषक,पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत

परिशिष्ट ''ब''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :–

क्रम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष सख्या
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177.2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक	0177.2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक	0177.2620046
4	श्री सुनील कुमार आंगरा, उप निदेशक	0177.2620881
5	श्री देय राज चौहान, अनुभाग अधिकारी	0177.2620046
6	श्रीमति निर्मला वर्मा, अनुभाग अधिकारी	0177.2620881

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

क्रम सं0	टधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं0
1	श्री धर्म सिंह चौधरी, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894–230354
2	श्री दीना लाल ठाकुर, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	0177–2830892
3	श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	01892–229333
4	श्री बलदेव राज शर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792–252171
5	श्री जगजीत सिंह पटियाल, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला–2	0177–2621316
6	श्रीमति मीरा गौतम, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	0177–2841167
7	श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	01792–230459
8	श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	01892–265195
9	श्री राम लाल, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी .	01907–265592
10	श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	01902–222208

परिशिष्ट ''स''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	संशोधित वेतनमान
1.	अतिरिक्त निदेषक	1	7600	15600.39100
2.	संयुक्त निदेषकध्संयुक्त नियंत्रक	2	6600	15600.39100
3.	उप निदेषकध्उप नियंत्रक	7	5400	10300.34800
4.	सहायक निदेषकध्सहायक नियंत्रक	9	5000	10300.34800
5.	अनुभाग अधिकारी	34	4400	10300.34800
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	61	3800	10300.34800
7.	कनिष्ठ सहायक	3	3600	10300.34800
8.	लिपिक	4	1900	5910.20200
9.	चालक	1	2000	5910.20200
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	1650	4900.10680
11.	दफतरी	1	1650	4900.10680
12	चपरासी	6	1300	4900.10680
	कुल	130		

३३ण